37

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1468–चार/1998 विरूध्द आदेश दिनांक 29–08–98 पारित अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 08/1996–97 अपील.

जगदीश सिंह पुत्र भमरसिंह,
निवासी ग्राम खोंकर, तह0 कोलारस,
जिला शिवपुरी, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1– महिला लक्ष्मीबाई पत्नी गनेशसिंह
निवासी न्यू ब्लाक, शिवपुरी
2– भमरसिंह पुत्र परतापसिंह राजपूत
निवासी ग्राम खोंकर, तह0 कोलारस,
जिला शिवपुरी, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक – आवेदक
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक 5.5.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 08/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 29–06–1998 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरण पंजी क0 6 में दिनांक 9–3–89 को सहायक बन्दोवस्त अधिकारी ने अनावेदक क0–2 भवरसिंह के स्थान पर आवेदक जगदीशसिंह का नामान्तरण सहमति एवं कब्जे के आधार पर पारित किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक क0–1 महिला लक्ष्मीबाई व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 9–9–96 व्दारा अपील अवधि बाह्य होने से खारिज की। व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–06–98 व्दारा अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है कि अपील समयावधि में मान्य कर उसका गुण–दोष पर उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के बाद निराकरण करें। इस आदेश के विरूध्द आवेदक जगदीशसिंह व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क0–1 महिला लक्ष्मीबाई विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, इस कारण अपील की अनुमति लिये बिना प्रस्तुत अपील सुनवायी योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है, जब प्रत्येक दिन के विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया हों। अनावेदक क0–1 व्दारा आदेश की प्रति प्राप्त होने के 21 दिन बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी और इन 21 दिनों के विलम्ब का कारण बीमार होना बतलाया, किन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र सिर्फ 5 दिन का ही प्रस्तुत किया गया, इसलिये अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज करने में

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी थी। उनका अन्त में यह कहना था कि अनावेदक क0–1 ने प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1973 में कय करना बतलाया, किन्तु इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही यह स्पष्ट किया गया कि वर्ष 1973 में भूमि खरीदने के बाद लगभग 19 वर्ष तक नामान्तरण हेतु प्रयास क्यों नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत नामान्तरण स्वत्व के अन्तरण होने पर किया जा सकता है, किन्तु अनावेदक क0–2 भमरसिंह ने अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्र आवेदक जगदीशसिंह का नामान्तरण कब्जे एवं सहमति के आधार पर कराया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क0–2 भमरसिंह व्दारा अनावेदक क0–1 महिला लक्ष्मीबाई को वर्ष 1973 में ही विकय की जा चुकी थी, किन्तु इस तथ्य को छुपाकर नामान्तरण पंजी में नामान्तरण कराया गया है। अनावेदक क0–1 को नामान्तरण आदेश की जानकारी होने पर उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि पटवारी व्दारा तैयार की गयी नामान्तरण पंजी में यह नहीं बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व भवरसिंह से जगदीशसिंह को किस प्रकार से अन्तरित हुए हैं। इश्तहार भी जारी नहीं किया गया है और नामांन्तरण के पहले ग्राम में डोंडी आदि भी नहीं पिटवायी गयी है जिससे इस कार्यवाही का महिला लक्ष्मीबाई को पता होना नहीं माना जा सकता। संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर उसका विहित रीति से प्रकाशन कराना आवश्यक है। नामान्तरण नियमों के नियम 27 के

अनुसार भी इश्तहार का विधिवत प्रकाशन किये जाने का नियम हैं। संहिता की धारा 47 के व्दितीय परन्तुक के अनुसार जहॉ किसी ऐसे पक्षकार, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरूध्द आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, आदेश पारित किये जाने के दिनांक की कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहॉ परिसीमा की गणना ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से की जायेगी। अनावेदक महिला लक्ष्मीबाई व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विकयपत्र व्दारा खरीदी जाने से आवेदक व्दारा इन्कार नहीं किया गया है, इसलिये वह हितधारी पक्षकार होने से उसे अपील की अनुमति लिये बिना अपील का अधिकार है। लक्ष्मीबाई को नामान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व एवं पश्चात कोई सूचनापत्र तामील नहीं किया गया व इश्तहार का प्रकाशन भी विधिवत नहीं किया गया, इस कारण ऐसे प्रकरण में समयावधि की गणना आदेश की संसूचना अर्थात जानकारी के दिनांक से करने पर अपील समयावधि में होने से विव्दान अपर आयुक्त व्दारा अपील स्वीकार कर उसका निराकरण गुण–दोष पर किये जाने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–06–98 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0